न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह आई.ए.एस.

रिमाण्ड प्र.सं. 01/2020 मूल प्रकरण सं. 57/2011
जीसीएमएस : 2020/00004

1. आसाराम पुत्र ज्ञानदास जाति बावरी निवासी 40 एनपी ....(मृतक)
   1/1. पंजाब कौर पुत्री आसाराम जाति गुरचरण सिंह जाति बावरी निवासी हाल चक 62 एफ श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
   1/2. सरजीत कौर पुत्री आसाराम पत्नी गुरचरण सिंह जाति बावरी निवासी हाल चक 63 जीजी श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. सन्तराम पुत्र ज्ञानदास जाति बावरी निवासी 40 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. प्रेम सिंह पुत्र ज्ञानदास जाति बावरी निवासी 40 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–: प्रार्थीगण

बनाम

1. बंता सिंह पुत्र ज्ञानदास जाति बावरी निवासी 6 जेड डब्ल्यू एम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0
2. रामप्यारी पुत्री ज्ञानदास पत्नी भगवान सिंह जाति बावरी निवासी ग्राम कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. मीरा देवी पुत्री ज्ञानदास पत्नी अमरसिंह ....(मृतक)
   3/1. हरि सिंह पुत्र अमर सिंह जाति बावरी माता मीरा देवी निवासी 5 एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–: अप्रार्थीगण

<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–
1. श्री रणजीत सिंह सोनी, श्री देवेन्द्र मण्डा वकील प्रार्थीगण
2. श्री सुभाष बिश्नोई, वकील अप्रार्थीगण

–: **<u>निर्णय</u>** :–

दिनांक : 22.12.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी गण एवं अप्रार्थीगण के पिता ज्ञानदास वंजीराराम जिनकी मृत्यु हो चुकी हैं के नाम से 40 एनपी मु.नं. 20 प.नं. 216/322 में 0.632है., प.नं. 221/323 मु.नं. 28 में 3.189है., मु.नं. 45 में 1.265है. व बगीचा बारानी के मु.नं. 227/338 मु.नं. 29 में 6.325है. व चक श्यामगढ़ बारानी (59एनपी) के मु.नं. 6 प.नं. 226/340 में 6.325है. भूमि हैं। ज्ञानदास द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी भूमि का बंटवारानामा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के हक में दिनांक 15.09.1987 को रोबरू गवाहान बांटकर दी हुई हैं और इसी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी काबिज हैं। [illegible] 1 धमकी दी कि वे कब्जा करेंगें यदि अप्रार्थीगण कामयाब हो जाते [illegible] को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामा [illegible] पिता के द्वारा अपने जीवनका में ही बांटकर दिया [illegible] अनुसार ही कब्जा काश्त हैं। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण शान्ति पूर्वक काबिज [illegible] कब्जा निरन्तर चला आ रहा हैं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible]रित करने हेतु निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के रकबा में किसी प्रकार की मदाखत बेजा नहीं करे। फसल भूमि पानी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। शान्तिपूर्वक कब्जा में व्यवधान नहीं डाले।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता के निवेदन के आधार पर एकपक्षीय बहस सुनते हुए दिनांक 08.06.2011 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:23:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखन एवं एक दूसरे के कब्जे में मदाखलत नहीं करने की पारित की गयी। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 3 जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि तथाकथित ईकरारनामा के मुताबिक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भूमि विभाजन नहीं हुआ। ईकरारनामा दिनांक 15.09.1987 सम्पादितकर्ता श्री ग्यानदास की मृत्यु भी हो चुकी हैं। ज्ञानदास के मृतक पुत्र अमर सिंह के पुत्र गोविन्द सिंह को पक्षकर नहीं बनाया हैं। ज्ञानदास की चक 40 एनपी में 5.086है., श्यामगढ बारानी में 6.325है., बगीचा बारानी में 6.325हे. भूमि धारण करते हैं। ज्ञानदास की मृत्यु हो जाने के बाद उनके कानूनी वारिस आशाराम–सन्तराम–प्रेमसिंह–बन्ता सिंह–रामप्यारी–हरिसिंह–गोविन्द सिंह कुल सात विधिक उत्तराधिकारी हैं। इस प्रकार प्रत्येक वारिस के हिस्सा में चक 40 एनपी में 0.726है., बगीचा बारानी 0.903है. तथा श्यामगढ़ बारानी में 0.903है. कृषि भूमि आती हैं। अप्रार्थी सं. 2 रामप्यारी तथा अप्रार्थी सं. 3 हरिसिंह के हिस्सा की भूमि पर प्रार्थीगण ने अवैध कब्जा कर रखा हैं। जिसके लिए अप्रार्थीगण सं. 2–3 अपने हिस्से की कृषि भूमि का प्रति बीघा प्रति वर्ष 5000/– अखरे पांच हजार रूपये मूल वाद के निर्णित होने तक दिलाने हेतु निवेदन करते हैं। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि से बेदखल कर रिसीवर नियुक्त करने हेतु निवेदन किया हैं।

3. प्रकरण में न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 18.12.2015 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.06.2011 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म करते हुए आदेशित किया गया था कि विवादित भूमि की दिनांक 08.06.2011 को जैसी भी रिकार्ड एवं मौका की स्थिति हो पक्षकारान बनाए रखेंगें एवं एक दूसरे के कब्जे में मदाखलत नहीं करेंगे।

4. इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी रामप्यारी एवं हरीसिंह द्वारा मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं. 07/2016 रामप्यारी आदि बनाम आशाराम आदि में दिनांक 18.11.2019 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.12.2015 को निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया हैं कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा.पत्र में काउंटर क्लेम को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को सुनकर धारा 212 आरटीए के तीनों कारकों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जावे।

5. मूल रिकार्ड पत्रावली मय आदेश प्राप्त होने पर प्रकरण रिमाण्ड दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। प्रार्थी सं. 1 की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी सं. 1/1 व 1/2 को प्रार्थी सं. 1 के स्थान पर बतौर प्रार्थी प्रतिस्थापित किया गया हैं।

6. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया हैं कि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता ज्ञानदास के नाम से थी। ज्ञानदास द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 15.09.11987 को ईकरारनामा बाबत बंटवरानामा कर प्रार्थी सं. 1,2,3 व अप्रार्थी सं. 1 को भूमि बांट कर दे दी थी। जिस अनुसार प्रार्थीगण भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे थें। अप्रार्थीगण भूमि पर कब्जा करने पर उतारू हैं, यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। न्यायालय द्वारा पूर्व में ही पारित निर्णय को यथावत रखने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि ज्ञानदास की मृत्यु हो चुकी हैं, जिनके प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विधिक वारिसान हैं, इसलिए भूमि पर प्रत्येक वारिस का [illegible] हिस्सा बनता हैं। तथाकथित ईकरारनामा के मुताबिक प्रार्थीगण एवं अ[illegible] मध्य कोई भूमि विभाजन नहीं हुआ हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की भूमि [illegible] हैं। प्रार्थना खारिज करते हुए काउंटर क्लेम स्वीकार [illegible] प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के जिस हिस्सा की भूमि [illegible] किया है बाबत 5000 रू की राशि प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से मूल वाद के निर्णय तक दि[illegible] तथा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करते हुए रिसीवर नियुक्त करने हेतु निवेदन किया।

7. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इकरार नामा बंटवारा दिनांक 15.09.1987 पंजीबद्ध दस्तावेज नहीं हैं तथा उक्त दस्तावेज पर अप्रार्थी सं. 2,3(3/1) के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं हैं। भूमि के खातेदार ज्ञानदास की मृत्यु हो चुकी हैं। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण ज्ञानचंद के वारिसान हैं। अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:23:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

द्वारा किसी भी तरह का विवादित भूमि के संबंध में विभाजन होने से इंकार किया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थीगण भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया हैं कि उनके पिता द्वारा जीवनकाल में ही भूमि का बंटवारा कर दिया गया था, प्रार्थीगण उसी अनुसार काबिज हैं। विवादित भूमि पर कब्जा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण का होना स्वीकार किया। विवादित भूमि आज भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता ज्ञानदास के नाम दर्ज है। खातेदार ज्ञानदास की मृत्यु होना दोनों पक्ष स्वीकार करते है। विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता ज्ञानदास के नाम से रिकार्ड दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी हैं। अतः भूमि प्रार्थीगण अथवा अप्रार्थीगण को पिता(मृतक) से प्राप्त पैतृक भूमि की श्रेणी आती हैं। विवादित भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के विरास्तन अथवा बंटवारानामा अनुसार हक हिस्से का विनिश्चय मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर वाद बिन्दू कायम कर गुणावगुण पर किया जाना हैं। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अप्रार्थीगण को क्षति कारित होने की संभावना हैं अथवा भूमि पर रिसीवर की नियुक्ति की जाती हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना संभावित हैं क्योंकि भूमि प्रार्थीगण के कब्जा में होने का कथन अप्रार्थीगण द्वारा किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक हिस्सा का विनिश्चिय अभी होना शेष हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण का कब्जा स्वीकार किया हैं अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। परन्तु मात्र सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण पारित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में प्रकरण में बहुत से प्रश्न हैं, जिनको मूल वाद में गुणावगुण पर तय किया जाना है, प्रार्थना पत्र व काउंटर क्लेम खारिज योग्य हैं।

—: क्रियान्वयन आदेश :—

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत 212 राज0 काश्त0 अधि0 एंव काउंटर क्लेम अप्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gurjan Singh
Date: 2023.03.21 16:23:55 IST
Reason: SelfAttested

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर